बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक 15/1/26 को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकोशल अग्रणी स्वशासीय महाविद्यालय जबलपुर, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर राज्य मध्य प्रदेश (प्रथम पक्षकार)

एवं

श्री सुनील कुमार तिवारी, आयु 56 वर्ष, पुत्र स्व. जानकी प्रसाद तिवारी, निवासी अधारताल, जिला जबलपुर, राज्य म. प्र. (द्वितीय पक्षकार)

के मध्य निष्पादित किया जा रहा है।

इस समझौता ज्ञापन के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकोशल अग्रणी स्वशासीय महाविद्यालय जबलपुर को प्रथम पक्षकार और श्री सुनील कुमार तिवारी, (कृषक का पूरा नाम, उम्र, पता) को द्वितीय पक्षकार कहा जायेगा।

कृषि भूमि खतौनी / खसरा नंबर ३३ एवं 128, गांव/शहर उर्दुवा, तहसील आधारताल, जिला जबलपुर में स्थित भूमि का श्री सुनील कुमार तिवारी, (भू-स्वामी का नाम), भूमि का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर (33) एवं 0.6 हेक्टेयर (128), का मैं, श्री सुनील कुमार तिवारी, तनहा भू-स्वामी व काबिज हूँ। जिस पर किसी प्रकार का कोई भार नही है।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत समझौता अवधि में उपरोक्त भूमि के 4 हेक्टेयर (33) एवं 0.6 हेक्टेयर (128) क्षेत्रफल का संबंधित महाविद्यालय के विद्यार्थी कृषि पाठ्यक्रम के प्रयोग एवं परीक्षण के लिए उपयोग कर सकेंगे।

1. उद्देश्य

1.1 इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकोशल अग्रणी स्वशासीय महाविद्यालय जबलपुर, (महाविद्यालय का नाम) में संचालित कृषि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को कृषि कार्य की विभिन्न पद्धतियों की जानकारी देकर प्रशिक्षित करना।

1.2 कृषि पाठ्यक्रम के सार्थक क्रियान्वयन के लिए महाविद्यालय में संचालित कृषि पाठ्यक्रम के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए कृषि क्षेत्र का भ्रमण एवं कृषि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोग / परीक्षण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य
प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय महाकोशल स्वशासी अग्रणी
महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

द्वितीय पक्षकार

Scanned with CamScanner

2. महाविद्यालय का दायित्व –

2.1 कृषक के साथ कृषि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोग/परीक्षण की योजना बनाना और रूप रेखा तैयार करना।

2.2 कृषि प्रयोग परीक्षण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करना।

2.3 कृषि प्रयोग परीक्षण में कृषक द्वारा सुझाए गये अनुभव को स्वीकार करना और उसी अनुरूप कृषि प्रयोग परीक्षण करना।

2.4 कृषक को कृषि कार्यो से संबंधित अनुभव साझा करने के लिए समय–समय पर महाविद्यालय में आमंत्रित करना।

3. कृषक का दायित्व –

3.1 कृषि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोग/परीक्षण में अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सलाह प्रदान करना एवं विभिन्न फसलों के उत्पादन संबंधित कृषि विधि का व्यावहारिक ज्ञान शिक्षकों और विद्यार्थियों से साझा करना।

3.2 कृषि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोग/परीक्षण में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना।

4. लाभार्थी –

4.1 इस समझौता ज्ञापन से महाविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी एवं शिक्षक लाभान्वित होंगे।

5. वित्तीय उपबन्ध –

5.1 इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उपलब्ध कराये गये कृषि भूमि एवं अनुभव के एवज में प्रतिफल के रूप में रूपये 10,000/– (दस हजार मात्र) वार्षिकी दर से भुगतान समझौता ज्ञापन निष्पादन दिनांक से ज्ञापन अवधि तक प्रति वर्ष (महाविद्यालय का नाम) PMCOE Govt. महाकोशल महा. जबलपुर द्वारा संबंधित कृषक के बैंक खाता में समझौता ज्ञापन की अवधि में प्रति वर्ष किया जायेगा।

5.2 (महाविद्यालय का नाम) PMCOE Govt. Mahakoshal College Jabalpur द्वारा कृषक को प्रतिफल का भुगतान जनभागीदारी मद से किया जायेगा।

6. समझौता ज्ञापन की अवधि –

6.1 यह समझौता ज्ञापन निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा।

(हस्ताक्षर) प्रथम पक्षकार	(हस्ताक्षर) द्वितीय पक्षकार

प्राचार्य
प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय महाकोशल स्वशासी अग्रणी
महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

7. अन्य बाध्यकारी उपबन्ध –

7.1 कृषक समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान समझौता ज्ञापन की कृषि भूमि पर कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे विद्यार्थियों को प्रयोग/परीक्षण में बाधा हो।

7.2 समझौता ज्ञापन अवधि के दौरान उक्त कृषि भूमि पर कृषि प्रयोग परीक्षण करने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे – सिचाई हेतु नलकूप, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र इत्यादि का प्रबंधन संबंधित महाविद्यालय की मांग पर कृषक द्वारा किया जायेगा। कृषक द्वारा कृषि प्रयोग/परीक्षण करने के लिए आवश्यक संसाधन के प्रबंधन में जो भी अतिरिक्त व्यय भार आयेगा, उस राशि का भुगतान महाविद्यालय द्वारा संबंधित कृषक को किया जायेगा। यह राशि अनुबंध राशि के अतिरिक्त होगी।

7.3 महाविद्यालय समझौता ज्ञापन की कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोग/परीक्षण के लिए करेगा। महाविद्यालय को उक्त भूमि को किसी को विक्रय, पट्टा, बंधक, विनिमय एवं अधिग्रहण इत्यादि का अधिकार नहीं होगा।

7.4 समझौता ज्ञापन की अवधि में कृषि भूमि का विक्रय, पट्टा, बंधक, दान, विनिमय इत्यादि करने की स्थिति में कृषक संबंधित महाविद्यालय को 1 माह पूर्व सूचित करेगा।

7.5 ज्ञापन के आधार पर अनुबंधित कृषि भूमि क्षेत्र पर समझौता अवधि में दोनों पक्षकारों द्वारा समझौते की शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अन्य गतिविधि नही की जाएगी।

7.6 कृषि भूमि पर किये जाने वाले परीक्षण एवं प्रयोग आपसी सहमति से किये जाएंगे।

7.7 कृषि भूमि पर ऐसे परीक्षण एवं प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिससे कृषि भूमि को हानि हो।

8. परिवर्तन और परिवर्धन –

8.1 इस समझौता ज्ञापन में स्थापित शर्तो एवं खण्डों में किसी भी प्रकार का संशोधन इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षकारो की सहमति से किया जायेगा।

9. समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण/समाप्ति –

9.1 समझौता ज्ञापन को पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के आधार पर समझौता ज्ञापन अवधि की समाप्ति के 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

9.2 समझौता ज्ञापन का कोई भी पक्षकार 2 माह पूर्व सूचना देकर उचित आधार पर समझौता ज्ञापन को आपसी सहमति से समाप्त कर सकता है।

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य
प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय महाकोशल स्वशासी अग्रणी
महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

द्वितीय पक्षकार

Scanned with CamScanner

10. मध्यस्थता खण्ड –

10.1 किसी भी मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर किसी भी पक्षकार के लिखित अनुरोध पर दोनों पक्षकारो के अधिकृत प्रतिनिधि एक माह की अवधि में समझौता वार्ता द्वारा समाधान निकालेंगे।

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक 15/1/26 को PMCoE Mahakoshal College, Jabalpur (स्थान का नाम) में गवाहो की उपस्थिति में दोनों पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार

(महाविद्यालय का पूरा नाम और पता)

PMCoE Govt. MAHAKOSHAL COLLEGE JABALPUR M.P

प्राचार्य का नाम DR. ALKESH CHATURVEDI

पद PRINCIPAL

हस्ताक्षर प्राचार्य प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस

मोहर शासकीय महाकोशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

स्थान एवं तिथि PMCOE GOVT. MAHKOSHAL COLLEGE, JABALPUR, MP Dt. 15/01/2026

(कृषक का पूरा नाम और पता)

GRAM KHURDWA, ADHARTAL, JABALPUR, M.P

नाम SHRI. SUNIL KUMAR TIWARI

हस्ताक्षर

स्थान एवं तिथि PMCoE GOVT. MAHAKOSHAL COLLEGE JABALPUR M.P Dt. 15/01/2026

गवाह 1. हस्ताक्षर .... नाम Dr Sangya Singh पद Guest Faculty (Agriculture)

गवाह 2. हस्ताक्षर .... नाम Dr. Pragya Rangari पद Guest faculty (Agriculture)

गवाह 3. हस्ताक्षर .... नाम Sushant Tiwari पद Farmer, Student.

Scanned with CamScanner